



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म व हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 2,00,000/- रूपये के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0-03/2023 धारा- 376डी, 302,34,201 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी/जीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.करन ढीमर पुत्र मोहन निवासी-झिन्नावीरा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर 2.रामप्रकाश पुत्र कालीचरन खंगार निवासी-गुगरवारा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01-01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री विशम्भर
पाल व श्री महेश चन्द्र



विवेचक-
एसओ श्री पंकज
तिवारी



पैरोकार- थाना मझगवां
का0 सर्वज्ञ